राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

7342
क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई) / अपील न0 1356 / 2015 / दिः 25.06.2015
29

श्री फकीरिया,
म0न0 385,
मंगोलपुर कलां,
नई दिल्ली–110085.

उप निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री फकीरिया, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 15.05..2015 (आई0डी0न0: 8492) का निपटान किया गया।

दिनांक 25.06..2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री फकीरिया उपस्थित हुए एवं श्री जगदीश मौर्या, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0प0)–I, सुलतान पुरी जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 07.04.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 16.05.2015 को दायर की । अपील की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी अपीलकर्ता को जवाब दिए जाने के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके । इससे साबित होता है कि अपीलकर्त्ता को तीस दिन के अन्दर कोई जवाब नहीं दिया गया । क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि उनका स्थानान्तरण कुछ दिन पहले ही हुआ है, इस कारण उन्हें पूरी जानकारी नहीं है । अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की मांग की और जवाब जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की प्रार्थना की ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी को भी निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को आदेश जारी करने की तिथि के 10 दिनों के भीतर उपलब्ध पूर्ण जानकारी निशुल्क प्रदान करें । जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में आर0टी0आई0 नियमों के अन्तर्गत आने वाले आवेदन पत्रों को साधारण तौर पर न लिया जाए और हर आवेदन पत्र की सही रूप से जांच करके निर्धारित समय सीमा के अनुसार तीस दिन के अन्दर उपलब्ध जानकारी हर हाल में दी जाए ।

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
DY. No. 3033
Date 02/7/15

Programmer I

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल,बी-विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-
अमित सतीजा
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1, श्री फकीरिया, म0न0 385, मंगोलपुर कलां, नई दिल्ली-110085
2, उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0प0-।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-।।, राजेन्द्र नगर ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

प्रथम अपीलीय अधिकारी